



Musafir Ki
Namaz (Hindi)

मुसाफिर की नमाज़



शेखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अज़ाज़ क़द्वी २-जुवी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ
الْعَالَمِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
مَا بَعْدَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज़वी **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ**

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** ! हम पर इल्मो हिकमत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले । (المستطرف ج 1 ص 14 دار الفكر بيروت)

नोट : अब्बल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

तालिबे ग़मे मदीना

व बकीअ

व मरिफ़रत

13 शब्वालुल मुकर्रम 1428 हि.



मुसाफिर की नमाज़

येह रिसाला (मुसाफ़िर की नमाज़)

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज़वी **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ** ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है । इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत्तलअ फ़रमा कर सवाब कमाइये ।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद
के सामने, तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात

MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मुसाफिर की नमाज (ह-नफी)

बराहे करम ! येह रिसाला (17 सफ़हात) मुकम्मल पढ़
लीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** इस के फ़वाइद खुद ही देख लेंगे ।

दुरूद शरीफ की फ़ज़ीलत

सरवरे ज़ीशान, महबूबे रहमान **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने
मग़िफ़रत निशान है : “जब जुम्आरात का दिन आता है **عَزَّوَجَلَّ**
फ़िरिशतों को भेजता है जिन के पास चांदी के कागज़ और सोने के क़लम होते
हैं वोह लिखते हैं, कौन यौमे जुम्आरात और शबे जुमुआ मुझ पर कसरत
से दुरूदे पाक पढ़ता है ।”

(ابن عساکر ج ٤٣ ص ١٤٢)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

अल्लाह तबा-र-क व तआला सू-रतुन्सिआ की आयत
नम्बर 101 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ
خَفْتُمْ أَنْ يَفْتِتْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا أَعْدَاءُ مُّبِينًا ۝

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और
जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम
पर गुनाह नहीं कि बा'ज़ नमाज़ें क़स्स
से पढ़ो, अगर तुम्हें अन्देशा हो कि
काफ़िर तुम्हें ईजा देंगे, बेशक कुफ़फ़र
तुम्हारे खुले दुश्मन हैं ।

फरमाने मुस्फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रहमतें भेजता है। (مسلم)

अब तो अम्न है फिर भी क़स्र क्यूं ?

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي फ़रमाते हैं : ख़ौफ़े कुफ़फ़ार क़स्र के लिये शर्त नहीं। हज़रते (सय्यिदुना) या'ला बिन उमय्या رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने हज़रते (सय्यिदुना) उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से अर्ज़ की, कि हम तो अम्न में हैं, फिर हम क्यूं क़स्र करते हैं ? फ़रमाया : इस का मुझे भी तअज़्जुब हुवा था तो मैं ने सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से दरयाफ़्त किया। हुजूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारे लिये येह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की तरफ़ से स-दक़ा है तुम उस का स-दक़ा क़बूल करो।

(185 स. इरफ़ान, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, मुसल्लिम, स. ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००)

पहले चार नहीं बल्कि दो रकअतें ही फ़र्ज़ की गईं

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिद-दतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا रिवायत फ़रमाती हैं : नमाज़ दो रकअत फ़र्ज़ की गई फिर जब सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ की गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।

(بخاری ج ۲ ص ۶۰۴ حدیث ۳۹۲۰)

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا और हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के हबीब, हबीबे लबीब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़े सफ़र की दो रकअतें मुक़रर फ़रमाई और येह पूरी है कम नहीं। (ابن ماجه ج ۲ ص ۵۶ حدیث ۱۱۹۴) या'नी अगर्चे ब ज़ाहिर दो रकअतें कम हो गई मगर सवाब में दो ही चार के बराबर हैं।

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ السَّلَامُ : उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा जि़क्र हो और वोह मुज़ पर दुरूदे पाक न पढ़े। (ترمذی)

शर-ई सफ़र की मसाफ़त (फ़ासिला)

शरअन मुसाफ़िर वोह शख्स है जो तीन दिन के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मक़ामे इक़ामत म-सलन शहर या गाउं से बाहर हो गया। खुशकी में सफ़र पर तीन दिन की मसाफ़त से मुराद साढ़े सत्तावन मील (तक़रीबन 92 किलो मीटर) का फ़ासिला है।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 8, स. 243, 270, बहारे शरीअत, जि. 1, स. 740, 741)

मुसाफ़िर कब होगा ?

महूज़ निय्यते सफ़र से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए, शहर में है तो शहर से, गाउं में है तो गाउं से और शहर वाले के लिये येह भी ज़रूरी है कि शहर के आस पास जो आबादी शहर से मुत्तसिल (या'नी मिली हुई) है उस से भी बाहर आ जाए। (نَدْرْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُخْتَارِ ج 2 ص 722)

आबादी ख़त्म होने का मतलब

आबादी से बाहर होने से मुराद येह है कि जिधर जा रहा है उस तरफ़ आबादी ख़त्म हो जाए अगर्चे उस की महाज़ात (म-सलन उस की किसी और सम्त) में दूसरी तरफ़ ख़त्म न हुई हो। (عُنْيَه ص 526)

फ़िनाए शहर की ता'रीफ़

फ़िनाए शहर से जो गाउं मुत्तसिल (या'नी मिला हुआ) है शहर वाले के लिये उस गाउं से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं, यूंही शहर के मुत्तसिल (या'नी मिले हुए) बाग़ हों अगर्चे उन के निगहबान और काम

فَرَمَانِهِ مُسْتَفِئًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़े अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर सो रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। (طبرانی)

करने वाले उन बागात ही में रहते हों, उन बागों से निकल जाना ज़रूरी नहीं। फ़िनाए शहर या'नी शहर से बाहर जो जगह शहर के कामों के लिये हो म-सलन क़ब्रिस्तान, घोड़दौड़ का मैदान, कूड़ा फेंकने की जगह अगर येह शहर से **मुत्तसिल** (या'नी मिले हुए) हों तो उस से बाहर हो जाना ज़रूरी है और अगर शहर व फ़िना के दरमियान फ़ासिला हो तो नहीं।

(رَدُّ الْمُحْتَار ج ٢ ص ٧٢٢)

मुसाफ़िर बनने के लिये शर्त

सफ़र के लिये येह भी ज़रूरी है कि जहां से चला वहां से तीन दिन की राह (या'नी तक़ीबन 92 किलो मीटर) का इरादा हो और अगर दो दिन की राह (या'नी 92 किलो मीटर से कम) के इरादे से निकला वहां पहुंच कर दूसरी जगह का इरादा हुवा कि वोह भी तीन दिन (92 किलो मीटर) से कम का रास्ता है यूंही सारी दुन्या घूम कर आए मुसाफ़िर नहीं। (غُنَيْهِ ص ٥٣٧، رَدُّ الْمُحْتَار ج ٢ ص ٧٢٣، ٧٢٤) येह भी शर्त है कि तीन दिन की राह के सफ़र का **मुत्तसिल** (या'नी पै दर पै, लगातार) इरादा हो, अगर यूं इरादा किया कि म-सलन दो दिन की राह पर पहुंच कर कुछ काम करना है वोह कर के फिर एक दिन की राह जाऊंगा तो येह तीन दिन की राह का **मुत्तसिल** (या'नी लगातार) इरादा न हुवा मुसाफ़िर न हुवा।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 743)

शर-ई सफ़र की मिक्दार और सिटी सेन्टर

येह बात ज़ेहन में रहे कि शहर की आबादी ख़त्म होने के बा'द मसाफ़त (या'नी फ़ासिले) की मिक्दार देखी जाएगी। आज कल वस्ते

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ السَّلَامُ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक़ वोह बंद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

शहर (City Centre) से फ़ासिले की पैमाइश होती है जो कि “शर-ई सफ़र” के लिये नाकाफ़ी है । म-सलन (ता दमे तहरीर 2017 सि.ई.) बाबुल मदीना (कराची) की पैमाइश सिविक सेन्टर (Civic Centre) से की जाती है, लिहाज़ा सफ़र करने वालों को चाहिये कि हमेशा मुत्तसिल (या’नी मिली हुई) आबादी के इख़िताम (End) का लिहाज़ा अपने सामने रखें और दो बातें मज़ीद ज़ेहन में रखें, एक येह कि ज़रूरी नहीं कि एक मर्तबा सफ़र के दौरान जहां शहर की आबादी ख़त्म हुई थी तीन साल बा’द भी वोही हद हो कि बड़ी तेज़ी से आबादी के फैलाव की वजह से तीन साल में ही शहर कहां से कहां पहुंच जाता है । दूसरी बात येह कि शहर की जिस سمت से निकलना है उसी سمت की आबादी का ए’तिबार होगा म-सलन कराची से टोल प्लाज़ा के रास्ते में आबादी का इख़िताम (End) और जगह होता है जब कि ठठ्ठा की तरफ़ आबादी का इख़िताम (End) और जगह होगा कि दोनों سمتें मुख़्तलिफ़ हैं ।

वतन की किस्में

वतन की दो किस्में हैं : ﴿1﴾ वतने अस्ली : या’नी वोह जगह जहां इस की पैदाइश हुई है या इस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत (या’नी रिहाइश इख़्तियार) कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा ﴿2﴾ वतने इक़ामत : या’नी वोह जगह कि मुसाफ़िर ने पन्दरह दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का वहां इरादा किया हो ।

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۴۲)

फ़रमाने मुस्त्फ़ा عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर सुबह व शाम दस दस बार दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। (مجمع الزوائد)

वतने इक़ामत बातिल होने की सूरतें

वतने इक़ामत दूसरे वतने इक़ामत को बातिल कर देता है या'नी एक जगह पन्द्रह दिन के इरादे से ठहरा फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही। दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो। यूँही वतने इक़ामत वतने अस्ली और सफ़र से बातिल हो जाता है। (دُرْمُخْتَار ج ٢ ص ٧٣٩), बहारे शरीअत, जि. 1, स. 751)

सफ़र के दो रास्ते

किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से येह जाएगा उस का ए'तिबार है, नज़्दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफ़िर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे उस रास्ते के इख़्तियार करने में उस की कोई ग़-रजे सहीह न हो।

(عالمگیری ج ١ ص ١٣٨، دُرْمُخْتَار وَرَدُّ الْمُخْتَار ج ٢ ص ٧٢٦)

मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर है

मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुंच न जाए या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की निय्यत न कर ले। येह उस वक़्त है जब पूरे तीन दिन की राह (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) चल चुका हो, अगर तीन मन्ज़िल (या'नी तक़रीबन 92 किलो मीटर) पहुंचने से पेशतर (या'नी क़ब्ल) वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगर्चे जंगल में हो। (ایضاص ١٣٩، دُرْمُخْتَار ج ٢ ص ٧٢٨)

सफ़र ना जाइज़ हो तो ?

सफ़र जाइज़ काम के लिये हो या ना जाइज़ काम के लिये बहर हाल मुसाफ़िर के अहक़ाम जारी होंगे। (عالمگیری ج ١ ص ١٣٩)

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरूद शरीफ़ न पढ़ा उस ने जफ़ा की। (عبدالرزاق)

सेठ और नोकर का इकट्ठा सफ़र

माहाना या सालाना इजारे वाला नोकर अगर अपने सेठ के साथ सफ़र करे तो सेठ के ताबेअ है, फ़रमां बरदार बेटा वालिद के ताबेअ है और वोह शागिर्द जिस को उस्ताद से खाना मिलता है वोह उस्ताद के ताबेअ है या'नी जो निय्यत मत्वूअ (या'नी जिस के मा तहूत है उस) की है वोही ताबेअ (या'नी मा तहूत) की मानी जाएगी। ताबेअ (या'नी मा तहूत) को चाहिये कि मत्वूअ से सुवाल करे, वोह जो जवाब दे उस के ब मूजिब (या'नी मुताबिक) अमल करे। अगर उस ने कुछ भी जवाब न दिया तो देखे कि वोह (या'नी मत्वूअ) मुक़ीम है या मुसाफ़िर, अगर मुक़ीम है तो अपने आप को भी मुक़ीम समझे और अगर मुसाफ़िर है तो मुसाफ़िर। और येह भी मा'लूम नहीं तो तीन दिन की राह (या'नी तक्रीबन 92 किलो मीटर) का सफ़र तै करने के बा'द क़स्र करे, इस से पहले पूरी पढ़े और अगर सुवाल न कर सका तो वोही हुक्म है कि सुवाल किया और कुछ जवाब न मिला।

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, स. 745, 746)

काम हो गया तो चला जाऊंगा !

मुसाफ़िर किसी काम के लिये या अहबाब के इन्तिज़ार में दो चार रोज़ या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा, या येह इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा, दोनों सूरतों में अगर आज कल आज कल करते बरसों गुज़र जाएं जब भी मुसाफ़िर ही है नमाज़ क़स्र पढ़े।

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹ وغیره، ایضاً ص ۷۴۷)

فرمانه مستفاداً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा। (جمع الجوامع)

औरत के सफ़र का मस्अला

औरत को बिगैर मह्रम के तीन दिन (तक़रीबन 92 किलो मीटर) या ज़ियादा की राह जाना जाइज़ नहीं। ना बालिग़ बच्चे या मा'तूह (या'नी आधे पागल) के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती, हमराही में (या'नी साथ) बालिग़ मह्रम या शोहर का होना ज़रूरी है। (عالمگیری ج 1 ص 142) औरत, मुराहिक़ मह्रम (या'नी बालिग़ होने के करीब लड़के) के साथ सफ़र कर सकती है। मुराहिक़ बालिग़ के हुक्म में है। मह्रम के लिये ज़रूरी है कि सख़्त फ़ासिक़, बेबाक, ग़ैर मामून (या'नी ग़ैर महफूज़) न हो।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 752, 1044, 1045)

औरत का सुसराल और मयका

औरत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने सहने लगी तो मयका (या'नी औरत के वालिदैन का घर) इस के लिये वतने अस्ली न रहा या'नी अगर सुसराल तीन मन्ज़िल (तक़रीबन 92 किलो मीटर) पर है, वहां से मयके आई और पन्दरह दिन ठहरने की निय्यत न की तो क़स्र पढ़े और अगर मयके रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल अरिज़ी तौर पर गई तो मयके आते ही सफ़र ख़त्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े।

(ऐज़न, स. 751)

अरब ममालिक में वीज़ा पर रहने वालों का मस्अला

आज कल कारोबार वग़ैरा के लिये कई लोग बाल बच्चों समेत अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मुन्तक़िल हो जाते हैं। इन के पास मख़सूस

فَرَمَانَهُ مُسْتَقْفَاً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरुदे पाक न पढ़ा उस ने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। (طبرانی)

मुदत का **Visa** होता है। (म-सलन अरब अमारात में ज़ियादा से ज़ियादा तीन साल का रिहाइशी वीज़ा मिलता है) यह वीज़ा आरिज़ी होता है और मख़सूस रक़म अदा कर के हर तीन साल के आख़िर में इस की तज्दीद (**Renew**) करवानी पड़ती है। चूँकि वीज़ा महदूद मुदत के लिये मिलता है लिहाज़ा बाल बच्चे भी अगर्चे साथ हों इस की अमारात में मुस्तक़िल क़ियाम की निय्यत बेकार है और इस तरह ख़्वाह कोई **100** साल तक यहां रहे अमारात उस का वतने अस्ली नहीं हो सकता। यह जब भी सफ़र से लौटेगा और क़ियाम करना चाहे तो इक़ामत की निय्यत करनी होगी। म-सलन दुबई में रहता है और सुन्नतों की तरबियत के लिये दा'वते इस्लामी के म-दनी क़ाफ़िले में आशिक़ाने रसूल के साथ तक्रीबन **150** किलो मीटर दूर वाक़ेअ अमारात के दारुल ख़िलाफ़ा अबू ज़हबी का इस ने सुन्नतों भरा सफ़र इख़्तियार किया। अब दोबारा दुबई में आ कर अगर इस को मुक़ीम होना है तो **15** दिन या इस से ज़ाइद क़ियाम की निय्यत करनी होगी वरना मुसाफ़िर के अहक़ाम जारी होंगे। हां अगर ज़ाहिरे हाल या'नी (**Understood**) यह है कि अब **15** दिन या इस से ज़ियादा अर्सा यह दुबई में ही गुज़ारेगा तो मुक़ीम हो गया। अगर इस का कारोबार ही इस तरह का है कि मुकम्मल **15** दिन रात यह दुबई में नहीं रहता, वक़तन फ़ वक़तन शर-ई सफ़र करता है तो इस तरह अगर्चे बरसों अपने बाल बच्चों के पास दुबई आना जाना रहे यह मुसाफ़िर ही रहेगा इस को नमाज़ क़स्स करनी होगी। अपने शहर के

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरुदे पाक की कसरत करो बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरुदे पाक पढ़ना तुम्हारे लिये पाकीजगी का बाइस है। (अबु येली)

बाहर दूर दूर तक माल सप्लाय करने वाले और शहर ब शहर, मुल्क ब मुल्क फेरे लगाने वाले और ड्राइवर साहिबान वगैरा इन अहकाम को जेहन में रखें।

ज़ाइरे मदीना के लिये ज़रूरी मस्अला

जिस ने इक़ामत की निय्यत की मगर उस की हालत बताती है कि पन्दरह दिन न ठहरेगा तो निय्यत सहीह नहीं म-सलन हूज करने गया और ज़ुल हिज्जतिल हुराम का महीना शुरू हो जाने के बा वुजूद पन्दरह दिन मक्कए मुअज़्ज़मा زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا में ठहरने की निय्यत की तो येह निय्यत बेकार है कि जब हूज का इरादा किया है तो (15 दिन इस को मिलेंगे ही नहीं कि 8 जुल हिज्जतिल हुराम) मिना शरीफ़ (और 9 को) अ-रफ़ात शरीफ़ को ज़रूर जाएगा फिर इतने दिनों तक (या'नी 15 दिन मुसल्लसल) मक्कए मुअज़्ज़मा زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا में क्यूंकर ठहर सकता है ! मिना शरीफ़ से वापस हो कर निय्यत करे तो सहीह है। (عالمگیری ج ۱ ص ۱۴۰، دُرِّمُخْتَار ج ۲ ص ۷۲۹) जब कि वाक़ेई 15 या ज़ियादा दिन मक्कए मुअज़्ज़मा زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا में ठहर सकता हो, अगर ज़न्ने ग़ालिब हो कि 15 दिन के अन्दर अन्दर मदीनाए मुनव्वरह زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا या वतन के लिये रवाना हो जाएगा तो अब भी मुसाफिर है।

उम्रे के वीजा पर हूज के लिये रुकना कैसा ?

उम्रे के वीजा पर जा कर ग़ैर क़ानूनी तौर पर हूज के लिये रुकने या दुन्या के किसी भी मुल्क में Visa की मुद्दत पूरी होने के बा'द ग़ैर

फ़रमाने मुस्तफ़ा **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** : जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुझ पर दुरुद शरीफ़ न पड़े तो वोह लोगों में से कन्नूस तरीन शख्स है। (सुन्दह अहमद)

क़ानूनी रहने की जिन की निय्यत हो वोह वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होते वक़्त जिस शहर या गाउं में मुक़ीम हों वहां जब तक रहेंगे उन के लिये मुक़ीम ही के अहक़ाम होंगे अगर्चे बरसों पड़े रहे मुक़ीम ही रहेंगे। अलबत्ता एक बार भी अगर 92 किलो मीटर या इस से ज़ियादा फ़ासिले के सफ़र के इरादे से उस शहर या गाउं से चले तो अपनी आबादी से बाहर निकलते ही मुसाफ़िर हो गए और अब उन की इक़ामत की निय्यत बेकार है। म-सलन कोई शख्स पाकिस्तान से उम्रे के **Visa** पर मक्का मुकर्रमा **زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا** गया, **Visa** की मुद्दत ख़त्म होते वक़्त भी मक्का शरीफ़ ही में मुक़ीम है तो उस पर मुक़ीम के अहक़ाम हैं। अब अगर म-सलन वहां से मदीनए मुनव्वरह **زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا** आ गया तो चाहे बरसों ग़ैर क़ानूनी पड़ा रहे, मगर मुसाफ़िर ही है, यहां तक कि अगर दोबारा मक्का मुकर्रमा **زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا** आ जाए फिर भी मुसाफ़िर रहेगा, उस को नमाज़ क़स्र ही अदा करनी होगी। हां अगर दोबारा **Visa** मिल गया तो इक़ामत की निय्यत की जा सकती है। याद रहे ! जिस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर ज़िल्लत, रिश्वत और झूट वग़ैरा आफ़ात में पड़ने का अन्देशा हो उस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी जाइज़ नहीं। चुनान्चे मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** फ़रमाते हैं : मुबाह (या'नी ऐसा काम जिस के करने में न सवाब हो न गुनाह ऐसी जाइज़) सूरतों में से बा'ज़ (सूरतें) क़ानूनी तौर पर जुर्म होती हैं उन में मुलव्वस होना (या'नी ऐसे क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करना) अपनी ज़ात

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالصَّلَامُ : तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। (طبرانی)

को अज़ियत व ज़िल्लत के लिये पेश करना है और वोह ना जाइज़ है। (फ़तावा र-जविय्या, जि. 17, स. 370) लिहाज़ा बिगैर **Visa** के दुन्या के किसी मुल्क में रहना या हज़ के लिये रुकना जाइज़ नहीं। गैर क़ानूनी ज़राएअ से हज़ के लिये रुकने में काम्याबी हासिल करने को عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (مَعَادُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ) अल्लाह व रसूल का करम कहना सख़्त बेबाकी है।

क़स्स वाजिब है

मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्स करे या'नी चार रकअत वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े इस के हक़ में दो ही रकअतें पूरी नमाज़ है और क़स्सन चार पढ़ीं और दो पर का'दा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गए और पिछली दो रकअतें नफ़ल हो गईं मगर गुनाहगार व अज़ाबे नार का हक़दार है कि वाजिब तर्क किया लिहाज़ा तौबा करे और दो रकअत पर का'दा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वोह नमाज़ नफ़ल हो गई, हां अगर तीसरी रकअत का सज्दा करने से पेशतर इक़ामत की निय्यत कर ली तो फ़र्ज़ बातिल न होंगे मगर क़ियाम व रुकूअ का इआदा करना होगा और अगर तीसरी के सज्दे में निय्यत की तो अब फ़र्ज़ जाते रहे यूंही अगर पहली दोनों या एक में क़िराअत न की नमाज़ फ़ासिद हो गई।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 743, 139, 139)

क़स्स के बदले चार की निय्यत बांध ली तो.....?

मुसाफ़िर ने क़स्स के बजाए चार रकअत फ़र्ज़ की निय्यत बांध ली फिर याद आने पर दो पर सलाम फ़ैर दिया तो नमाज़ हो जाएगी। इसी

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जो लोग अपनी मजलिस से अल्लाह के ज़िक्र और नबी पर दुरूद शरीफ़ पढ़े बिगैर उठ गए तो वोह बदबूदार मुर्दार से उठे। (شعب الإيمان)

तरह मुक़ीम ने चार रकअत फ़र्ज़ की जगह दो रकअत फ़र्ज़ की निय्यत की और चार पर सलाम फ़ैरा तो उस की भी नमाज़ हो गई। फु-क़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام फ़रमाते हैं : “निय्यते नमाज़ में रकअतों की ता’दाद मुक़र्रर करना ज़रूरी नहीं क्यूं कि येह ज़िम्नन हासिल है। निय्यत में ता’दाद मुअय्यन (या’नी मुक़र्रर) करने में ख़ता (या’नी भूल) नुक़सान देह नहीं।”

(دُرْمُخْتَار ج ٢ ص ١٢٠)

मुसाफ़िर इमाम और मुक़ीम मुक़तदी

इक़्तिदा दुरूस्त होने के लिये एक शर्त येह भी है कि इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मा’लूम हो ख़्वाह नमाज़ शुरूअ करते वक़्त मा’लूम हुवा या बा’द में, लिहाज़ा इमाम (अगर मुसाफ़िर हो तो उस) को चाहिये कि शुरूअ करते वक़्त अपना मुसाफ़िर होना ज़ाहिर कर दे, और शुरूअ में न कहा तो बा’द नमाज़ (या’नी सलाम फ़ैरने के बा’द) कह दे : “मुक़ीम हज़रात अपनी नमाज़ें पूरी कर लें क्यूं कि मैं मुसाफ़िर हूँ।” (دُرْمُخْتَار ج ٢ ص ٧٣٥) और शुरूअ में ए’लान कर चुका है जब भी बा’द में कह दे कि जो लोग उस वक़्त मौजूद न थे उन्हें भी मा’लूम हो जाए।

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 749)

मुक़ीम मुक़तदी और बक़िय्या दो रकअतें

क़स्र वाली नमाज़ में मुसाफ़िर इमाम के सलाम फ़ैरने के बा’द मुक़ीम मुक़तदी जब अपनी बक़िय्या नमाज़ अदा करे तो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकअत में सू-रतुल फ़ातिहा पढ़ने के बजाए अन्दाज़न उतनी देर चुप खड़ा रहे। (دُرْمُخْتَار ج ٢ ص ٧٣٥, बहारे शरीअत, जि. 1, स. 748 माखूज़न)

फ़रमाने मुस्ताफ़ा ﷺ : **عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** : जिस ने मुझ पर रोज़े जुमुआ दो सो बार दुरुदे पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे । (جمع الجوامع)

क्या मुसाफ़िर को सुन्नतें मुआफ़ हैं ?

सुन्नतों में क़स्स नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी, ख़ौफ़ और रवा-रवी (या'नी भागम भाग, घबराहट) की हालत में सुन्नतें मुआफ़ हैं और अम्न की हालत में पढ़ी जाएंगी । (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹)

“नमाज़” के चार हुरूफ़ की निस्बत से चलती गाड़ी में नफ़ल पढ़ने के 4 मँ-दनी फूल

❁ बैरूने शहर (या'नी शहर के बाहर से मुराद वोह जगह है जहां से मुसाफ़िर पर क़स्स करना वाजिब होता है) सुवारी पर (म-सलन चलती कार, बस, वेगन में) भी नफ़ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिक्बाले किब्ला (या'नी किब्ला रुख़ होना) शर्त नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिस रुख़ को जा रही हो उधर ही मुंह हो और अगर उधर मुंह न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूअ करते वक़्त भी किब्ले की तरफ़ मुंह होना शर्त नहीं बल्कि सुवारी (या गाड़ी) जिधर जा रही है उसी तरफ़ मुंह हो और रुकूअ व सुजूद इशारे से करे और (ज़रूरी है कि) सज्दे का इशारा ब निस्बत रुकूअ के पस्त हो । (या'नी रुकूअ के लिये जिस क़दर झुका, सज्दे के लिये उस से ज़ियादा झुके) (دُرِّمُخْتَارُ وَرَدُ الْمُخْتَارِ ج ۲ ص ۵۸۸) जि. 1, स. 671) **चलती** ट्रेन वगैरा ऐसी सुवारी जिस में जगह मिल सकती है उस में किब्ला रुख़ हो कर काइदे के मुताबिक़ नवाफ़िल पढ़ने होंगे ❁ गाउं में रहने वाला जब गाउं से बाहर हुवा तो सुवारी (गाड़ी) पर नफ़ल

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : मुझ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ो, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ तुम पर रहमत भेजेगा। (अबु अदी)

पढ़ सकता है। (رَدُّ الْمُحْتَرَجِ ٢ ص ٥٨٨) ❁ बैरूने शहर (या'नी शहर के बाहर) सुवारी पर नमाज़ शुरू की थी और पढ़ते पढ़ते शहर में दाख़िल हो गया तो जब तक घर न पहुंचा सुवारी पर पूरी कर सकता है।

(دُرُّ الْمُخْتَرَجِ ٢ ص ٥٨٩) ❁ चलती गाड़ी में बिला उज़्रे शर-ई फ़र्ज़ व सुन्नते फ़ज़्र तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नज़्र (या'नी मन्नत) और वोह नफ़ल जिस को तोड़ दिया हो और सज्दा तिलावत जब कि आयते सज्दा ज़मीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर उज़्र की वजह से हो तो इन सब में शर्त यह है कि अगर मुम्किन हो तो क़िब्ला रू खड़ा हो कर अदा करे वरना जैसे भी मुम्किन हो और बा'द में नमाज़ का इज़ादा कर ले। (या'नी दोबारा पढ़ ले) (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 673)

मुसाफ़िर तीसरी रक़अत के लिये खड़ा हो जाए तो.....?

अगर मुसाफ़िर क़स्र वाली नमाज़ की तीसरी रक़अत शुरू कर दे तो इस की दो सूरतें हैं : ❁ 1) ब क़दरे तशहहूद का'दए अख़ीरा कर चुका था तो जब तक तीसरी रक़अत का सज्दा न किया हो लौट आए और सज्दा सहव कर के सलाम फ़ैर दे अगर न लौटे और खड़े खड़े सलाम फ़ैर दे तो भी नमाज़ हो जाएगी मगर सुन्नत तर्क हुई। अगर तीसरी रक़अत का सज्दा कर लिया तो एक और रक़अत मिला कर सज्दा सहव कर के नमाज़ मुकम्मल करे (इब्तिदाई दो रक़अतें फ़र्ज़ और) यह आख़िरी दो रक़अतें नफ़ल शुमार होंगी ❁ 2) का'दए अख़ीरा किये बिग़ैर खड़ा हो गया था तो जब तक तीसरी रक़अत का सज्दा न किया हो लौट आए और

فَرَمَانِے مُسْتَفِیَا عَلَی اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ : مُضْجُ پَر کَسْرَت سے دُرُودِ پَاک پढ़و बेशक तुम्हारा मुज़्ज पَر दُرुودِ पَاक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़िफ़रत है ! (ابن عساکر)

सज्दए सहव कर के सलाम फ़ैर दे अगर तीसरी रकअत का सज्दा कर लिया फ़र्ज़ बातिल हो गए, अब एक और रकअत मिला कर सज्दए सहव कर के नमाज़ मुकम्मल करे चारों रकअतें नफ़ल शुमार होंगी। (दो रकअत फ़र्ज़ अदा करने अभी ज़िम्मे बाकी हैं) (دُرِّمُخْتَار وَرَدُّ الْمُخْتَار ج ٢ ص ٦٦٧ ماخوذاً)

सफ़र में क़ज़ा नमाज़ें

हालते इक़ामत में होने वाली क़ज़ा नमाज़ें सफ़र में भी पूरी पढ़नी होंगी और सफ़र में क़ज़ा होने वाली क़स्स वाली नमाज़ें मुक़ीम होने के बा'द भी क़स्स ही पढ़ी जाएंगी।

ग़मे मदीना, बकीअ,
मग़िफ़रत और बे
हिसाब जन्नतुल
फ़िरदौस में आका के
पड़ोस का त़ालिब



जुमादिल ऊला 1438 सि.हि.
फ़रवरी 2017 ई.

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआत, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में मक-त-बतुल मदीना के शाएअ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोहफ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने महल्ले के घरों में हस्बे तौफ़ीक़ रिसाले या म-दनी फूलों के पेम्फ़लेट हर माह पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये।

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरश्ते उस के लिये इस्तिफ़ार (या'नी बख़्शिश की दुआ) करते रहेंगे। (طبرانی)

फ़ेहरिस

उन्वान	सफ़ह	उन्वान	सफ़ह
दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	1	ज़ाइरे मदीना के लिये	
अब तो अम्न है फिर भी क़स्र क्यूं ?	2	ज़रूरी मस्अला	10
पहले चार नहीं बल्कि दो रकअतें ही फ़र्ज़ की गईं	2	उम्रे के वीज़ा पर हज़ के लिये रुकना कैसा ?	10
शर-ई सफ़र की मसाफ़त (फ़ासिला)	3	क़स्र वाजिब है	12
मुसाफ़िर कब होगा ?	3	क़स्र के बदले चार की निय्यत	
आबादी ख़त्म होने का मतलब	3	बांध ली तो.....?	12
फ़िनाए शहर की ता'रीफ़	3	मुसाफ़िर इमाम और	
मुसाफ़िर बनने के लिये शर्त	4	मुक़ीम मुक़तदी	13
शर-ई सफ़र की मिक्दार और सिटी सेन्टर	4	मुक़ीम मुक़तदी और बक़िय्या दो रकअतें	13
वतन की किस्में	5	क्या मुसाफ़िर को	
वतने इक्मत बातिल होने की सूरतें	6	सुन्नतें मुआफ़ हैं ?	14
सफ़र के दो रास्ते	6	चलती गाड़ी में नफ़ल पढ़ने के	
मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर है	6	4 म-दनी फूल	14
सफ़र ना जाइज़ हो तो ?	6	मुसाफ़िर तीसरी रकअत के लिये	
सेठ और नोकर का इकठ्ठा सफ़र	7	खड़ा हो जाए तो.....?	15
काम हो गया तो चला जाऊंगा !	7	सफ़र में क़ज़ा नमाज़ें	16
औरत के सफ़र का मस्अला	8	कुरआन भुला देने का अज़ाब	18
औरत का सुसराल और मयका	8	3 फ़रामीने मुस्तफ़ा <small>عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ</small>	18
अरब ममालिक में वीज़ा पर रहने वालों का मस्अला	8	फ़रमाने र-ज़वी	19
	8	मआख़िज़ो मराजेअ	19

فَرَمَانَهُ مُسْتَفَا : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज़ पर एक दिन में 50 बार दुरूदे पाक पढ़े कियामत के दिन मैं उस से मुसा-फ़हा करूँ (या'नी हाथ मिलाऊँ)गा । (ابن يشكوال)

أَصْدَقُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

कुरआन भुला देने का अज़ाब

यकीनन हिफ़ज़े कुरआने करीम कारे सवाबे अज़ीम है मगर याद रहे ! हिफ़ज़ करना आसान मगर उम्र भर इस को याद रखना दुश्वार है । हुफ़फ़ाज़ व हाफ़िज़ात को चाहिये कि रोज़ाना कम अज़ कम एक पारह लाज़िमन तिलावत कर लिया करें । जो हुफ़फ़ाज़ र-मज़ानुल मुबारक की आमद से थोड़ा अर्सा क़ब्ल फ़क़त मुसल्ला सुनाने के लिये मन्ज़िल पक्की करते हैं और इस के इलावा **مَعَادُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** सारा साल ग़फ़लत के सबब कई आयात भुलाए रहते हैं, वोह बार बार पढ़ें और ख़ौफ़े खुदा **عَزَّوَجَلَّ** से लरज़ें । दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ बहारे शरीअत जिल्द अब्वल सफ़हा 552 पर सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह, हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** फ़रमाते हैं : कुरआन पढ़ कर भुला देना गुनाह है । जो कुरआनी आयात याद करने के बा'द भुला देगा बरोज़े कियामत अन्धा उठाय़ा जाएगा । (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 553)

3 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿1﴾ मेरी उम्मत के सवाब मेरे हुज़ूर पेश किये गए यहां तक कि मैं ने उन में वोह तिन्का भी पाया जिसे आदमी मस्जिद से निकालता है और मेरी उम्मत के गुनाह मेरे हुज़ूर पेश किये गए मैं ने इस से बड़ा गुनाह न देखा कि किसी आदमी को कुरआन की एक सूरत या एक आयत याद हो फिर वोह उसे भुला दे । (ترمذی ج ٤ ص ٤٢٠ حديث ٢٩٢٥) ﴿2﴾ जो शख़्स कुरआन पढ़े फिर उसे भुला दे तो कियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढ़ी हो कर मिले । (ابوداؤد ج ٢ ص ١٠٧ حديث ١٤٧٤) ﴿3﴾ कियामत के दिन मेरी उम्मत को जिस

फ़रमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ السَّلَامُ : बरोज़े क़ियामत लोगों में से मेरे करीब तर वोह होगा जिस ने दुन्या में मुज़़ पर ज़ियादा दुरूदे पाक पढ़े होंगे। (ترمذی)

गुनाह का पूरा बदला दिया जाएगा वोह येह है कि उन में से किसी को कुरआने पाक की कोई सूरत याद थी फिर उस ने इसे भुला दिया।

(جَمْعُ الْجَوَامِعِ لِلْسُّيُوطِيِّ ج ۳ ص ۱۴۵ حدیث ۷۸۹۴)

फ़रमाने र-ज़वी

आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ फ़रमाते हैं : उस से ज़ियादा नादान कौन है जिसे खुदा ऐसी हिम्मत बख़्शे और वोह उसे अपने हाथ से खो दे अगर क़द्र इस (हिफ़ज़े कुरआने पाक) की जानता और जो सवाब और द-रजात इस पर मौज़ुद हैं (या'नी जिन का वा'दा किया गया है) उन से वाक़िफ़ होता तो इसे जानो दिल से ज़ियादा अज़ीज़ (प्यारा) रखता। मज़ीद फ़रमाते हैं : जहां तक हो सके इस के पढ़ाने और हिफ़ज़ कराने और खुद याद रखने में कोशिश करे ताकि वोह सवाब जो इस पर मौज़ुद (या'नी वा'दा किये गए) हैं हासिल हों और बरोज़े क़ियामत अन्धा कोढ़ी उठने से नजात पाए।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 23, स. 645, 647)

माخذुमराज

مطبوعه	کتاب	مطبوعه	کتاب
دارالفکر بیروت	ابن عساکر		قرآن مجید
دارالکتب العلمیہ بیروت	مجمع الجوامع	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	تذکران العرفان
سہیل اکیڈمی مرکز الاولیاء لاہور	غنیہ	دارالکتب العلمیہ بیروت	بخاری
دارالمعرفۃ بیروت	درمختار دروالمختار	دارابن خزیمہ بیروت	مسلم
دارالفکر بیروت	عالمگیری	داراحیاء التراث العربی بیروت	ابوداؤد
رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور	فتاویٰ رضویہ	دارالفکر بیروت	ترمذی
مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	بہار شریعت	دارالمعرفۃ بیروت	ابن ماجہ

یہ رسالہ پڑھنے کے باوجود سوا ب کی نیویٹ سے کسی کو دے دیجیے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّا بَعْدُ قَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سفر में भी नमाज़े बा जमाअत का जज़बा

❀ एक बुजुर्ग़ फ़रमाते हैं : मैं ने 40 साल
सफ़र में गुज़ारे मगर कोई नमाज़ भी बिग़ैर
जमाअत के अदा नहीं की¹ । ❀ इमाम अहमद
रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ फ़रमाते हैं : “मुझे बड़े
बड़े सफ़र करने पड़े और بِفَضْلِ تَعَالٰی पन्ज वक़्ता
(या'नी पांचों टाइम) जमाअत से नमाज़
पढ़ी² ।”

دينه

1. कश्फ़ल महज़ूब, स. 333
2. मल्फूज़ाते आ'ला हज़रत, स. 75

मुम्बई : 19, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429
देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560
नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुरा, नागपूर : (M) 9326310099
अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385
हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786
हुब्ली : A.J. मुदौल कोम्प्लेक्ष, A.J. मुदौल रोड, ओल्ड हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक. फ़ोन : 08363244860

माक-त-बतुल-मसीवा®

दा'वते इस्लामी



फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बगीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदअबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net